रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012024-251556 CG-DL-E-22012024-251556

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2024/माघ 2, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2024/MAGHA 2, 1945

No. 481

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

संख्या 04/2024-सीमाश्लक

सा.का.नि. 54(अ).—वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतद्वारा, सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018, के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसचना में, तालिका में-

क्रम सं. 54 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातु:

498 GI/2024 (1)

(1)	(2)
"54 क	भारत के राजपत्र संख्या सा.का.नि. 785(अ), दिनांक
	30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित
	अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30 जून,
	2017 के साथ संलग्न तालिका की क्रम संख्या 364क के
	अंतर्गत आने वाले शीर्ष 7112 के अंतर्गत आने वाले स्पेंट
	केटलिस्ट या राख जिसमें कीमती धातु अंतर्विष्ट हो ।"

- (ii) क्रम सं. 55 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द, अक्षर एवं अंक, "क्रम सं. 356, 357 और 364ग" के स्थान पर शब्द, अक्षर एवं अंक "क्रम सं. 356 एवं 357" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) क्रम सं. 56 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :

(1)	(2)
"56 क	शीर्ष 7118 के अंतर्गत आने वाले कीमती धातुओं के सिक्के"

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/4/2024-टीओ(टीआरयू-I)] राकेश दहिया, निदेशक

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा.का.िन.सं. 114(अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.िन.सं. 69(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2024

No. 04/2024 - Customs

G.S.R. 54(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2018- Customs, dated the 2nd February, 2018 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 114 (E), dated the 2nd February, 2018, namely:-

In the said notification, in the Table –

(i) after Sl. No 54 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:

(1)	(2)
"54A.	Spent catalyst and ash containing precious metals, falling under heading 7112, covered under S. No.
	364 A of the Table appended to the notification 50/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017,
	published in the Gazette of India, <i>vide</i> number G.S.R. 785(E), dated the 30 th June, 2017.";

- (ii) against Sl. No. 55, in column (2), for the letters, figures and words "S. Nos. 356, 357 and 364C", the letters, figures and words "S. Nos. 356 and 357" shall be substituted;
- (iii) after Sl. No 56 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:

(1)	(2)
"56A.	Coins of precious metals, falling under heading 7118.".

[F. No. CBIC-190341/4/2024-TO(TRU-I)]

RAKESH DAHIYA, Director

Note: - The principal notification No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018 and last amended *vide* notification No. 4/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69 (E), dated the 1st February, 2023.